आधार (सूचना की सहभािजता) िविनयम, 2016[1]

[21.08.2025 के अनुसार अȨतन]

आधार (िवȅीय और अɊ सहाियिकयों, Ůसुिवधाओं और सेवाओं का लिƗत पįरदान) अिधिनयम, 2016 की धारा 23 की उप-धारा (2) के उप-खंड (के) तथा धारा 29 की उप-धारा (2) तथा (4) के साथ पिठत धारा 54 की उप-धारा (2) के उप-खंड (ओ) तथा उप-धारा (1) के अंतगŊत Ůदȅ शİƅयों का Ůयोग करते Šए, भारतीय िविशʼ पहचान Ůािधकरण एतȞ्वारा िनɻिलिखत िविनयम बनाता है, नामत : :—

अȯाय – 1

Ůारंिभक

1.संिƗɑ नाम और Ůारंभ.—(1) इन िविनयमों को आधार (सूचना की सहभािजता) िविनयम, 2016 कहा जाएगा।

(2)ये िविनयम, इनके सरकारी राजपũ मŐŮकाशन की ितिथ[2] से Ůवृत होंगे।

2.पįरभाषाएं.—(1) जब तक िक संदभŊ मŐ अɊथा अपेिƗत न हो, इन िविनयमों मŐ, -

(क)**"अिधिनयम"**से अिभŮाय आधार (िवȅीय और अɊ सहाियिकयों, Ůसुिवधाओं और सेवाओं का लिƗत पįरदान) अिधिनयम, 2016 से है;

(ख)**"आधार पũ"**का अिभŮाय िकसी िनवासी को आधार नंबर के संŮेिषत करने वाले दˑावेज से है;

(ग) **"आधार नंबर धारक"**का अिभŮाय कोई ʩİƅ, िजसे अिधिनयम के अंतगŊत आधार नंबर जारी िकया गया है, से है;

(घ) **"Ůािधकरण"**का अिभŮाय धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत ˕ािपत भारतीय िविशʼ पहचान Ůािधकरण से है;

(ङ)**"अनुरोध करने वाली सं˕ा"**का अिभŮाय िकसी एजŐसी या ʩİƅ से है, जो िक अिधŮमाणन के िलए कŐūीय पहचान आंकड़े िनƗेपागार को िकसी ʩİƅ िवशेष का आधार नंबर तथा जनसांİƨकीय सूचना अथवा बायोमेिटŌक सूचना Ůˑुत करता है;

[3][(च)**"धारा"**से अिधिनयम की धारा अिभŮेत है।]

(2) इन िविनयमों के उपयोग के िलए अɊ सभी शɨ या अिभʩİƅयां, िजɎŐ इन िविनयमों मŐ पįरभािषत नहीं िकया गया है परंतु अिधिनयम तथा उसके तहत बनाए गए िनयमों तथा अɊ िविनयमों मŐ पįरभािषत िकया गया है, उनका Ţमश: वही अथŊ होगा, जो िक उɎŐ अिधिनयम अथवा िनयम अथवा अɊ िविनयमों, जैसा भी मामला हो, मŐ िदया गया है।

अȯाय – 2

पहचान संबंधी सूचना की सहभािजता पर Ůितबंध

[1]भारत का राजपũ, असाधारण, भाग III, खंड 4, िदनांक 14.9.2016 मŐ अिधसूचना संƥा 13012/64/2016/िविध/यूआईडीएआई (2016 की संƥा 5), िदनांक 12.9.2016 Ȫारा Ůकािशत िकया गया था और बाद मŐ अिधसूचना संƥा एचƐू-16016/1/2023-इयू-I-एचƐू(ई), िदनांक 21.08.2025 (22.08.2025 से Ůभावी) Ȫारा संशोिधत िकया गया।

[2]िदनांक 14.9.2016 से Ůभावी।

[3] अिधसूचना संƥा 13073/1/2024-ऑथ-II-एचƐू/सी-13751(ई), िदनांक 25.01.2024 (िदनांक 27.01.2024 से Ůभावी) Ȫारा अंत:˕ािपत िकया गया।

3. Ůािधकरण Ȫारा पहचान संबंधी सूचना का सहभाजन.—(1)अिधिनयम के तहत Ůािधकरण Ȫारा संŤिहत मुƥ बायोमेिटŌक सूचना को िकसी भी कारण से िकसी भी ʩİƅ के साथ सहभािजत नहीं िकया जाएगा।

(2) [4][आधार (अिधŮमाणन और ऑफलाइन सȑापन) िविनयम, 2021] तथा अिधिनयम के उपबंधों के अनुŝप अिधŮमाणन ŮिŢया के िलए आधार नंबर धारक से सहमित Ůाɑ करने के उपरांत इनके संबंध मŐअनुरोध करने वाली सं˕ा के अनुरोध पर अिधिनयम के तहत Ůािधकरण Ȫारा संŤिहत ʩİƅ िवशेष सूचना की जनसांİƨकीय सूचना तथा फोटोŤाफ को िकसी अनुरोध करने वाली सं˕ा Ȫारा ऐसे ʩİƅ िवशेष के संबंध मŐई-केवाईसी संबंधी डाटा के अिधŮमाणन संबंधी अनुरोध िकए जाने पर Ůािधकरण Ȫारा सहभािजत िकया जा सकता है।

(3) Ůािधकरण, [4][आधार (अिधŮमाणन और ऑफलाइन सȑापन) िविनयम, 2021] के िविनयम 28 के अनुŝप आधार नंबर धारक के अिधŮमाणन अिभलेखों को सहभािजत करेगा।

(4) Ůाि◌धकरण अिधिनयम की धारा 33 के अनुŝप, जब ऐसा करने की आव˟कता हो, आधार नंबर धारक की जनसांİƥकीय सूचना तथा फोटोŤाफ तथा अिधŮमाणन अिभलेखों को सहभािजत करेगा।

5 [(5) Ůाि◌धकरण, आधार (नामांकन और अȨतन) िविनयम, 2016 के िविनयम 29 के उप-िविनयम (1) मŐिविनिदŊʼ जांच के अनुसरण मŐ, आधार नंबर और उससे संबंिधत सूचना का लोप या उसे िनां˟य करने के िलए, उƅ िविनयमों के िविनयम 29 के उप-िविनयम (1क) के अनुसार, उसके कɨे या िनयंũण मŐ आधार नंबर धारक की सूचना, िजसमŐ सीआईडीआर मŐ संŤिहत सूचना भी है, तक पŠंच दे सकता है या उसका उपयोग कर सकता है या उसको Ůकट कर सकता है।]

6[(6) Ůाि◌धकरण, माता-िपता या कानूनी अिभभावक की सहमित सेऐसे आधार नंबर को, िजसे जɉŮमाणपũके आधार पर और मूल बायोमेिटŌक जानकारी एकũ िकए िबना, पांच वषŊ से कम आयु के बǄे के नामांकन उपरांत सृिजत िकया गया है, भारत के महापंजीयक या जɉ और मृȑु पंजीकरण अिधिनयम, 1969 के तहत िनयुƅ िकसी राǛ के मुƥ पंजीयक के साथ साझा करसकता है, तािक एक ही जɉŮमाण पũ के आधार पर दोहरे नामांकन को रोका जा सके।]

4. अनुरोध करने वाली सं̾ था के साथ सूचना का सहभाजन.—(1) अनुरोध करने वाली सं̾था Ȫारा आधार नंबर धारक के संबंध मŐ अिधŮमाणन के समय संŤिहत अथवा Ůाɑ की गई मुƥ बायोमेिटŌक सूचना को 7[आधार (अिधŮमाणन और ऑफलाइन सȑापन) िविनयम, 2021] मŐ यथा-िविनिदŊʼ बफर अिधŮमाणन के अलावा संचियत नहीं िकया जाएगा और िकसी भी कारण से से िकसी ʩİƅ के साथ सांझा नहीं िकया जाएगा।

(2) अनुरोध करने वाली सं̾था के पास उपलɩ पहचान संबंधी सूचना को :

4अिधसूचना संƥा 13073/1/2024-एयूटीएच-II-एचƐू/सी-13751(ई), िदनांक 25.01.2024 (27.01.2024 से Ůभावी) Ȫारा "आधार (अिधŮमाणन) िविनयम, 2016" Ůित̾थािपत िकया गया।
5अिधसूचना संƥा 13073/1/2024-एयूटीएच-II-एचƐू/सी-13751(ई), िदनांक 25.01.2024 (27.01.2024 से Ůभावी) Ȫारा अंत: ̾थािपत िकया गया।
6अिधसूचना संƥा एचƐू-16016/1/2023-इयू-I-एचƐू(ई), िदनांक 21.08.2025 (22.08.2025 से Ůभावी) Ȫारा अंत: ̾थािपत िकया गया।
7अिधसूचना संƥा 13073/1/2024-एयूटीएच-II-एचƐू/सी-13751(ई), िदनांक 25.01.2024 (27.01.2024 से Ůभावी) Ȫारा "आधार (अिधŮमाणन) िविनयम, 2016" Ůित̾थािपत िकया गया।

(क) अनुरोध करने वाली सं̾था Ȫारा अिधŮमाणन हेतु पहचान संबंधी सूचना को Ůाɑ करने के समय, आधार नंबर धारक के िविनिदŊʼŮयोजन के अलावा िकसी अɊŮयोजन के िलए उपयोग नहीं िकया जाएगा; और

(ख) आधार नंबर धारक की पूवŊ सहमित के िबना आगे उद्घिटत/Ůकट नहीं िकया जाएगा।

(3) अनुरोध करने वाली सं̾था, आधार नंबर धारक के अिधŮमाणन संबंधी लॉग की संबंिधत सूचना को 8[आधार (अिधŮमाणन और ऑफलाइन सȑापन) िविनयम, 2021] के िविनयम 18 मŐ यथािविनिदŊʼ आधार नंबर धारक के साथ उसके अनुरोध िकए जाने या िशकायत िनवारण हेतु एवं िववादों के समाधान हेतु एवं Ůाि◌धकरण के साथ लेखापरीƗा ŮयोजनाथŊ सहभािजत कर सकता है।

5. आधार नंबर के संबंध मŐ अनुरोध करने वाली सं̾था के अलावा अɊ एजŐसी या सं̾था का उȅरदाियȕ.—(1) कोई भी ʩİƅ िवशेष, एजŐसी या सं̾था, जो आधार नंबर या आधार नंबर अंतिवŊʼ िकसी दˑावेज का संŤहण करती है, वह:

(क)केवल िविध-सʃत Ůयोजनों के िलए आधार नंबर का संŤहण, भंडारण तथा उपयोग करेगी;

(ख)िनɻिलिखत ɚौरे के संबंध मŐ आधार नंबर धारक को सूिचत करेगी :-

(i)Ůयोजन, िजसके िलए सूचना का संŤहण िकया गया है;

(ii)Ɛा ऐसे ŮयोजनाथŊ आधार नंबर या आधार का साƙ िदया जाना अिनवायŊ है या ऐİǅक है और यिद अिनवायŊ है तो इसे अिधदेिशत करने वाला िविधक उपबंध Ɛा है;

(iii)आधार नंबर अथवा आधार नंबर अंतिवŊʼ दˑावेज को जमा करने का िवकʙ, यिद कोई हो तो;

(ग) िविनिदŊʼŮयोजनाथŊ आधार नंबर के संŤहण, भंडारण उपयोग हेतु आधार नंबर धारक की सहमित Ůाɑ करना;

(2) ऐसा ﬁJĺb िवशेष, एजőसी या सं̥ा आधार नंबर धारक से सहमित Ů ाɑ करने के समय िविनिदŊ’ शतŘके अलावा िकसी अɊ ŮयोजनाथŊ आधार नंबर का उपयोग नहीं करेगा।

(3) ऐसा ﬁJĺb िवशेष, एजőसी या सं̥ा आधार नंबर को आधार नंबर धारक की सहमित के िबना िकसी ﬁJĺb के साथ सहभािजत नहीं करेगा।

₉[परंतु यह िक आधार (नामांकन एवं अȨतन) िविनयम, 2016 के िविनयम 28 के उप िविनयम (1) के खंड (ईए) के अंतगŊत मृत ﬁJĺb के आधार नंबर को िनİ˃य करने की İ̾थित मő इसकी आवʴकता नहीं होगी।]

6. आधार नंबर को सहभािजत करने, पįरचािलत करने या Ůकािशत करने पर Ůितबंध.— (1)िकसी ﬁJĺb िवशेष के आधार नंबर को किसी ﬁJĺb या सं̥ा या एजőसी Ȫारा Ůकािशत, ŮदिशŊत अथवा सावŊजिनक ˙प से पो̌ नहीं िकया जाएगा।

₈अिधसूचना संƥा 13073/1/2024-एयूटीएच-II-एचƐू/सी-13751(ई), िदनांक 25.01.2024 (27.01.2024 से Ůभावी) Ȫारा “आधार (अिधŮमाणन) िविनयम, 2016” Ůित̾थािपत िकया गया।
₉अिधसूचना संƥा एचƐू-16016/1/2023-इयू-I-एचƐू(ई), िदनांक 21.08.2025 (22.08.2025 से Ůभावी) Ȫारा अंत: ̾थािपत िकया गया।

(2) ऐसा कोई ﬁJĺb िवशेष सं̥ा या एजőसी, िजसके पास आधार नंबर धारकों के आधार नंबर हœ, वह आधार नंबर वाले िकसी अिभलेख या डाटा बेस की सुरƗा एवं गोपनीयता सुिनिʮत करेगी।

(3) उप-िविनयम (1) और (2) पर िबना Ůितकूल Ůभाव डाले, अनुरोध करने वाली सं̥ा सिहत कोई भी सं̥ा, िजसके पास िकसी आधार नंबर धारक का आधार नंबर है, वह ﬁJĺb िवशेष के आधार नंबर वाले िकसी भी डाटा बेस या अिभलेख को सावŊजिनक नहीं करेगा, जबतक िक िŮंट या इलेƃŌॉिनक, दोनों ˙पों मő उपयुƅतरीके से आधार नंबर को हटा या िमटा न िदया गया हो।

(4) अनुरोध करने वाली सं̥ा सिहत कोई भी सं̥ा अपने िकसी भी ﬁJĺb को अपने आधार नंबर को इंटरनेट के माȯम से भेजने को तभी कहेगी जबिक वैसा भेजा जाना सुरिƗत हो तथा आधार नंबर को कूटबȠ˙प से भेजा जाए, केवल उस İ̾थित को छोड़कर, जहां इस Ůकार से आधार नंबर भेजा जाना, ũुिट सुधार िकए जाने या िशकायत का िनपटान िकए जाने के िलए अपेिƗत हो।

(5) अनुरोध करने वाली सं̥ा सिहत कोई भी सं̥ा आधार नंबर या िकसी द̾तावेज या डाटा बेस, िजसमőआधार नंबर हो, को आधार नंबर धारक की सहमित लेने के समय िविनिदŊ’Ůयोजन के िलए आवʴक समय से अिधक समय तक अपने पास नहीं रखेगी।

7. िविनयमों का उʟंघन िकए जाने पर दाियȕ िनधाŊरण.—अिधनियम के तहत की जाने वाली िकसी कारŊवाई पर िबना Ůितकूल Ůभाव डाले, इन िविनयमों के िविनयम 3, 4, 5 और 6 का कोई भी उʟंघन अिधिनयम की धारा 29 की उप-धारा (2) का उʟंघन माना जाएगा।

8. आधार नंबर धारक की िशकायतों का िनवारण.—आधार नंबर धारक की पहचान संबंधी सूचना को अिधिनयम या िविनयमों के उपबंधों के Ůितकूल िकसी पȠित से सहभािजत िकए जाने या Ůकािशत िकए जाने पर आधार नंबर धारक, आधार (नामांकन तथा अȨतन) िविनयम, 2016 के िविनयम 32 के अनु˙ Ůʲ पूछ सकता है तथा िशकायत कर सकता है।

अȯाय—3

िविवध

9. आधार नंबर को सहभािजत िकए जाने के बारे मő सूचना का Ůसार.—Ůािधकरण, आधार नंबर के उपयोग तथा इसको सहभािजत िकए जाने के दु̽įरणामों के बारे मő आधार नंबर धारक को िशिƗत करने के िलए अिनवायŊ उपाय कर सकता है।

10. ﬁJाावृि̅.—भारत सरकार के योजना आयोग के िदनांक 28 जनवरी, 2009 की अिधसूचना संƥा ए-43011/02/2009-Ůशासन-1 के माȯम से ̾थािपत भारतीय िविश’ पहचान Ůािधकरण अथवा ऐसे Ůािधकरण के िकसी अिधकारी अथवा अिधिनयम के तहत Ůािधकरण की ̾थापना पूवŊ जारी सभी कायŊ-पȠित, आदेश, ŮिŢयाएं, मानक तथा नीितयां अथवा ह̾ताƗर िकए गए सभी समझौता ǒापन, करार अथवा सिवदाएं उस सीमा तक लागू रहőगी, जबतक िक वे अिधिनयम के उपबंधों तथा तȖंबंध के तहत तैयार िकए गए अिधिनयम अथवा िविनयम के तहत असंगत िसȠ न हो जाएं।

11. ''ीकरण तथा िदशािनदőशों को जारी करने की शıb.—इन िविनयमों के अनुŮयोग तथा िनवŊचन के संबंध मő िकसी सम˟ा का िनराकरण करने अथवा िकसी मामले मő ''ीकरण करने के िलए Ůािधकरण पįरपũ के ŝप मő ''ीकरण अथवा िदशािनदőश जारी कर सकता है।

[10][**12. Ůȑायोिजत शıb या कृȑ से संबंिधत कायŊ या बात को करना.**— (1) ऐसा कोई कायŊ या बात जो Ůािधकरण Ȫारा इन िविनयमों के अंतगŊत िकया जाना अपेिƗत है या िकया जा सकता है, Ůािधकरण के ऐसे सद˟ या अधिकारी या िकसी अɊ ʩİƅ Ȫारा भी िकया जा सकता है िजसे Ůािधकरण ने संबंिधत शıb या कृȑ, अधिनियम की धारा 51 के अंतगŊत, सामाɊ या िवशेष िलİखत आदेश Ȫारा Ůȑायोिजत िकया है।

(2) Ůािधकरण, उप-िविनयम (1) के अंतगŊत एक सद˟, अधकारी या अɊ ʩİƅ Ȫारा िकया गया कोई कायŊ या बात उƅ उप-िविनयम मő िनिदŊʼ Ůȑायोिजत शıb या कृȑ से संबंिधत है या नहीं, अवधाįरत कर सकेगा।]

[10] अधसूचना संƥा 13073/1/2024-एयूटीएच-II-एचƐू/सी-13751(ई), िदनांक 25.01.2024 (27.01.2024 से Ůभावी) Ȫारा अंत: ̾थािपत िकया गया।